

8. अपने विवाह अथवा अपने पुत्र/पुत्री/बहन /भाई के विवाह के लिए (घोषण प्रस्तुत करें)
Marriage of Self/Son/Daughter/Sister/Brother:
(Furnish a declaration in Form 31)
9. बेटा/बेटी के मैट्रिक से उच्च शिक्षा के लिए
(संबंधित कालेज द्वारा कोर्स के तथा अनुमानित खर्च के बारे में प्रमाण - पत्र देना होगा)
Post Matriculation education of Son/Daughter:
(Certificate from the institution regarding the course of study and anticipated expenditure)
10. प्राकृतिक विकोप (प्रवाह/दंगा/भूकम्प) के कारण जायदाद को क्षति। (प्रपत्र 'डी' भरकर प्रस्तुत करें)
Damage to the property due to natural calamity (Flood/Riot/Earthquake):
(Furnish the certificate 'D' given overleaf)
11. विद्युत रोके जाने पर प्रभावित होने पर :
(प्रपत्र 'ई' भरकर प्रस्तुत करें)
Affected by cut in electricity:
(Furnish the certificate 'E' given overleaf)
12. शारीरिक अपांग सदस्य साधन खरीदने के लिए
(प्रपत्र - 'एफ' भरकर प्रस्तुत करें)
Purchase of equipment for physically handicapped member:
(Furnish the certificate 'F' given overleaf)

सूचना : 1) स्वीकृति अधिकारी द्वारा वांछित अन्य ऐसे कोई दस्तावेज/ प्रमाण -पत्र भी देना होगा

Note : Such other document, certificate etc., as may be required by sanctioning authority are also required to be furnished.

- 2) यदि एक महीने के अन्दर कोई सूचना नहीं मिली तो स्थापना के मार्फत क्षे.भ.नि.आ/प्रभारी अधिकारी (उ.ले.का) के लिखें।
In case no intimation is received within a month, please write to the R.P.F.C./Officer-in-charge of Sub-Account office through the establishment.